जे. एम. टंडन.- जे.

अजय कुमार मित्तल,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और

अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 2510 1979

मई 1 आफ 1984

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 14 और 15(4)-प्रवेश के प्रयोजनों के लिए सीटों का आरक्षण-ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित-विभिन्न श्रेणी के छात्रों के लिए सीटों का कुल आरक्षण 50 से अधिक प्रतिशत–विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण–ऐसे आरक्षण–क्या असंवैधानिक हैं।

माना गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों के लिए 35 प्रतिशत सीटों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है और वैध नहीं है।

(पैरा 9).

माना गया कि आरक्षण के तहत समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। कोई भी लेबल कुल मिलाकर कुल उपलब्ध सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और ऐसे प्रतिशत से अधिक कोई भी आरक्षण अमान्य है और कानूनों के समान संरक्षण के नियम का उल्लंघन है और अनुच्छेद 15 (4) पर धोखाधड़ी के बराबर है। भारत का संविधान.

(पैरा 10).

माना गया कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चों के पक्ष में सीटों का आरक्षण असंवैधानिक है।

(पैरा 11).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका, प्रार्थना करते हुए कि:-

(ए) यदि मामले का रिकॉर्ड तलब किया जाए और एक परमादेश रिट जारी की जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण की घोषणा की जा सके। आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1985) अनुलग्नक पी-I अवैध, अधिकारहीन, शून्य और असंवैधानिक है और इसलिए, उत्तरदाताओं 1 से 3 को इसे लागू करने से रोका जाना चाहिए;

(बी) उत्तरदाताओं 4 से 33 का चयन भी अवैध, अधिकारहीन, अशक्त और शून्य है और इसलिए, इसे रद्द किया जा सकता है; उत्तरदाताओं 1 से 3 को याचिकाकर्ता को बी.वी.एससी. में प्रवेश देने का निर्देश दिया जा सकता है। वर्ष 1979-80 के लिए & ए.एच. पाठ्यक्रम क्योंकि

वह प्रवेश के लिए विधिवत योग्य है, लेकिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के कारण प्रवेश से इनकार कर दिया गया है;
(डी) या ऐसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जा सकता है, याचिकाकर्ता के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ जारी किया जा सकता है;
(ई) मामले की अत्यधिक तात्कालिकता को देखते हुए याचिकाकर्ता के पास निपटान के लिए समय नहीं है, उत्तरदाताओं को नोटिस की सेवा से संबंधित शर्त को समाप्त किया जा सकता है;
(एफ) अनुबंध पी-I की मूल या प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट दी जा सकती है; और
(छ) याचिका की लागत प्रतिवादियों के विरुद्ध दी जा सकती है।

'सी. एम. चोपड़ा, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।
राज्य की ओर से ए.एस. नेहरा, अधिवक्ता, आर.पी. बाली, अधिवक्ता।

निर्णय

जे. एम. टंडन, जे.

(1) याचिकाकर्ता ने 1979 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। विश्वविद्यालय ने नियम 1.3 (पी. 1) के तहत प्रवेश के प्रयोजनों के लिए आरक्षण किया था। जिसका प्रासंगिक भाग पढ़ता है;
“स्नातक और मास्टर डिग्री दोनों के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निम्नानुसार श्रेणियों के लिए आरक्षण होगा: -
(i) भारत सरकार द्वारा नामित या अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार... 10 प्रतिशत
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति...20 प्रतिशत
(iii) पिछड़ा वर्ग...5 प्रतिशत
(iv) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रामाणिक किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बच्चे....35 प्रतिशत
(v) भूतपूर्व सैनिक या उनके बच्चे.. 5 प्रतिशत।
(vi) खिलाड़ी....3 प्रतिशत
(vii) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चे.... 2 प्रतिशत
(viii) खुला कोटा...20 प्रतिशत

क्रम संख्या (ii) से (viii) तक श्रेणियों में आरक्षण केवल हरियाणा से संबंधित उम्मीदवारों के लिए होगा। ओपन कोटा में भी ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालाँकि, स्पोर्ट्स कॉलेज में अपवाद किया जा सकता है, यदि आरक्षित श्रेणियों के तहत अच्छे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।
ऊपर उल्लिखित श्रेणी (iv) के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को गांव के स्कूल से कम से कम प्राथमिक या मध्य या मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। * * ' * * *
तथ्य यह है कि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के परिवार से है या नहीं, इसका आकलन मतदाताओं की संबंधित सूची में उसके पिता के नाम की मौजूदगी या ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद भूमि को दर्शाने वाले राजस्व रिकॉर्ड से किया जाएगा।

(2) याचिकाकर्ता खुली कोटा श्रेणी से प्रवेश सुरक्षित करने में विफल रहा है, उसने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करते हुए प्रवेश के प्रयोजनों के लिए आरक्षण (पी. 1) पर हमला करते हुए वर्तमान रिट दायर की है और निर्देश देने की प्रार्थना की है। उसे बी.वी.एससी. में प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को जारी किया जाएगा। और वर्ष 1979-80 के लिए ए.एच. पाठ्यक्रम।

(3) उत्तरदाताओं संख्या 1 की ओर से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर लिखित बयान में और 2 यह तर्क दिया गया है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए किया गया आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन नहीं है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले (कुमारी प्रोमिला जैन और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[1] पर भरोसा किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए समान आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। (5) विश्वविद्यालय के विद्वान वकील का तर्क यह है कि यह 35 प्रतिशत आरक्षण अनुच्छेद 15 के खंड (4) के तहत उचित है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। उनके अनुसार, समाज के जिस वर्ग के लिए यह आरक्षण दिया गया है, उसके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का उपयोग अनुच्छेद 14 के प्रयोजनों के लिए इसे एक विशिष्ट वर्ग के रूप में मानने के लिए किया जा सकता है। यह वर्ग समाज का एक कमजोर वर्ग है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में विशेष व्यवहार। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि यह मामला अमर बीर सिंह और अन्य बनाम

[1] सी.डब्ल्यू. 3371/78, 26 फरवरी 1979 को निर्णय लिया गया।

महा रिशल दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक और अन्य[2] के अनुपात के अंतर्गत आता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध माना गया है।
(6) कुमारी प्रोमिला जैन के मामले (सुप्रा) में, मेडिकल कॉलेज, रोहतक में प्रवेश के लिए 25 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षित थीं। ऐसी आरक्षित सीटों के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित तीन शर्तें निर्धारित की गईं: -

(1) उम्मीदवार के माता-पिता का नाम गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए।
(2) माता-पिता को गाँव में खेती या संबद्ध गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।
(3) उम्मीदवार को कम से कम प्राथमिक शिक्षा किसी ऐसे गांव के स्कूल से प्राप्त करनी चाहिए जहां नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र या टाउन एरिया कमेटी न हो।"
अमर बीर सिंह के मामले में (सुप्रा) मेडिकल कॉलेज, रोहतक में 25 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। ऐसी आरक्षित सीटों के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्त निर्धारित की गई थी: -
“उम्मीदवार को किसी सामान्य ग्रामीण स्कूल में 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। किसी ऐसे गांव में स्थित है जहां कोई नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र या नगर क्षेत्र समिति नहीं है।
इस प्रयोजन के लिए, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे परिशिष्ट 'सी' में देखा जा सकता है।
(7) अमर बीर सिंह के मामले (सुप्रा) में, कुमारी प्रोमिला जैन के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले पर ध्यान दिया गया और यह माना गया कि बाद के मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग-अलग हैं और इसलिए, उनका अनुपात नहीं है। आकर्षित किया. दूसरे शब्दों में, अमर बीर सिंह के मामले (सुप्रा) में, पूर्ण पीठ को कुमारी प्रोमिला जैन के मामले (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात में कोई गलती नहीं मिली।

(8) इस पृष्ठभूमि में विचार करने का मुद्दा यह है कि क्या मौजूदा मामले में विवादित 35 प्रतिशत आरक्षण उस आरक्षण के समान है जिसे कुमारी प्रोमिला जैन के मामले (सुप्रा) में रद्द कर दिया गया था या नहीं। यह स्पष्ट है कि यदि मौजूदा मामले में विवादित 35 प्रतिशत आरक्षण कुमारी प्रोमिला जैन के मामले (सुप्रा) में दिए गए आरक्षण के समान है, तो इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। दोनों आरक्षणों की तुलना से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि वे सार रूप में समान हैं। विवादित 35 प्रतिशत आरक्षण में उम्मीदवार को प्रवेश के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: -
(1) उसे गाँव के स्कूल से प्राइमरी या मिडिल या मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

---

[2] आई.एल.आर. 1980 (द्वितीय) पी.बी. और हैरी. 493.

(2) उसके पिता का नाम मतदाता सूची में या राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जो दर्शाता है कि उसके पास ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है।
(9) कुमारी प्रोमिला जैन के मामले में (सुप्रा), एक उम्मीदवार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए: -
(1) अभ्यर्थी के माता-पिता का नाम ग्राम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
(2) माता-पिता को गाँव में खेती या संबद्ध गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।
(3) उम्मीदवार को कम से कम प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त होनी चाहिए।

मौजूदा मामले में विवादित 35 प्रतिशत आरक्षण उस आरक्षण के समान है जिसे कुमारी प्रोमिला जैन के मामले (सुप्रा) में रद्द कर दिया गया था। अमर बीर सिंह के मामले (सुप्रा) में किया गया आरक्षण पूरी तरह से अलग है और इसलिए, विवादित आरक्षण को बनाए रखने के लिए उसके अनुपात का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। कुमारी प्रोमिला जैन के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच का फैसला एक बाध्यकारी मिसाल है। मौजूदा मामले में वास्तविक किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के बच्चों के लिए 35 प्रतिशत के आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध नहीं रखा जा सकता है। इस निष्कर्ष के मद्देनजर, विश्वविद्यालय के विद्वान वकील का यह तर्क कि यह आरक्षण इस आधार पर उचित है कि ग्रामीण क्षेत्र इसका स्रोत है, गलत और निराधार है।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और पिछड़े वर्गों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। अन्य श्रेणियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण के अलावा। आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होना असंवैधानिक है। सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ और अन्य, (3) के माध्यम से रमेश चंदर गर्ग बनाम पंजाब राज्य पर भरोसा रखा गया है। रमेश चंद्र गर्ग के मामले (सुप्रा) में यह माना गया है कि किसी भी लेबल के तहत समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कुल उपलब्ध सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 प्रतिशत का आरक्षण अमान्य और उल्लंघनकारी है। कानूनों के समान संरक्षण का नियम और संविधान के अनुच्छेद 15(4) के साथ धोखाधड़ी के समान है। मौजूदा मामले में, विवादित आरक्षण (पी. 1) को इस आधार पर भी संवैधानिक रूप से वैध नहीं ठहराया जा सकता है।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण पर विशेष रूप से हमला किया है। यह तर्क दिया गया है कि इस तरह का आरक्षण असंवैधानिक है और अजय कुमार बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और

अन्य[3] और उमेश चंद्र सिन्हा बनाम वी.एन. सिंह और अन्य[4] पर भरोसा किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क मान्य होना चाहिए। अजय कुमार के मामले (सुप्रा) में, परसन्ना दिनकर सोहले और आदि, आदि बनाम प्रभारी निदेशक, लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर और अन्य[5] में व्यक्त विचार, कि आरक्षण पक्ष में है विश्वविद्यालय के वार्डों की संख्या असंवैधानिक एवं अमान्य करने का पालन किया गया। उमेश चंद्र सिंह के मामले (सुप्रा) में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था।

(12) याचिकाकर्ता ने बी.वी.एससी. के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। और 1979 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के ए.एच., विवादित आरक्षण उसी वर्ष से संबंधित हैं। विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने कहा है कि विवादित आरक्षण अब प्रचलन में नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के अभाव में, याचिकाकर्ता ने प्रवेश सुरक्षित कर लिया होता। 1979 में योग्यता के आधार पर। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण सहित कुछ आरक्षणों को असंवैधानिक और अमान्य माना गया है। इस स्तर पर विवादित आरक्षण को रद्द करना व्यर्थ है क्योंकि यह अब प्रचलन में नहीं है। अमान्य आरक्षण के विरुद्ध अभ्यर्थियों का प्रवेश रद्द करना भी उचित नहीं होगा क्योंकि उनमें से अधिकांश ने अब तक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया होगा। परिस्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि विश्वविद्यालय अधिकारी याचिकाकर्ता को आगामी बी.वी.एससी. में प्रवेश की अनुमति दें। और यदि वह चाहें तो 1979 में अपनी योग्यता के आधार पर ए.एच. कोर्स कर सकते हैं।

(13) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिका को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को याचिकाकर्ता को 1979 में उसकी योग्यता के आधार पर आगामी बी.वी.एससी और ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश दिया जाता है। लागत.

एन.के.एस.

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी

---

[3] ए.आई.आर 1983, पी.बी. और हैरी. 8.

[4] ए.आई.आर. 1968, पटना 3.

[5] ए.आई.आर. 1982, बम्बई 176.

सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा